


नम्बर
अंशक
हुक्म
में
श्रीख
कम

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख
हुक्म

28/4/22 पत्रावली पेश हुई। वादी अदि. इपग
वादी स्वयं उप. प्रतिवादी रूपाराम जी
स्वयं उपस्थित। पहचान करी अदि. अर्ज
वादी ने प्रार्थना-पत्र
पत्रावली आज ही नलब करने के
प्रस्तुत किया। वादी स्वयं उप. होकर निवेदन
किया व प्रार्थना-पत्र अर्जत आदेश
23 नियम 01 सी.पी.सी. वास्तु वाद
जरिये विज्ञो खरीज करने का पेश किया
पत्रावली का अक्लौकन किया गया। वादी
द्वारा उपरोक्त वाद वास्तु आवेदारी घोषणा
बतवारा, एवम् स्थान निषेधाज्ञा का प्रतिवादी
के विरुद्ध पेश किया गया। जिसमें प्रां.पत्र
अर्जत आदेश 23 नियम 01 CPC का
वादी द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि
विवादवास्तु भूमि वास्तु एम पक्षकारों के
मध्य राजीनामा हो गया है। जिससे उपरोक्त
वाद वादी आगे नहीं चलाना चाहता है।
उक्त वाद जरिये विज्ञो प्रार्थना-पत्र के
खरीज किया जाता है। पत्रावली फेल्ट
शुभार होकर दफ्तर दाखिल हो।

रूपाराम
पत्रावली
इतिहास
करीक. 10


सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (वर्षिण)